न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 159/17 (RCMS No. 2017/00172) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामकरण पुत्र किशना
2. श्रीमति बच्ची पत्नि रामकरण

जाति अहीर निवासी ग्राम जुवाड तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. हजारी पुत्र फूल्या जाति बैरवा निवासी जुवाड तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 17.11.2015 प्रकरण संख्या 45/2012

उपस्थितिः—

1. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अपीलान्ट

निर्णय दिनांकः—27.06.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 17.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पेश किया कि विवादित आराजी ख0 नं0 317/1 रकवा 1 बीघा 10 विस्वा प्रार्थीगण/अपीलान्ट को आवंटित हुई थी। बन्दोवस्त ने हाल ख0 नं0 496, 498, 499, 501, 711 बनाये है। भू प्रबन्ध विभाग ने सहवन से ख0 नं0 496/1, 498, 499, 500/1 प्रार्थीगण/अपीलान्ट की खातेदारी में अंकित कर दिये है। जबकि प्राथीगण का इन नम्बरान पर कब्जा नही है। इन नम्बरान पर अप्रार्थी हजारी का कब्जा है। प्रार्थीगण/ अपीलान्ट का वर्तमान में कब्जा काश्त ख0 नं0 711 पर है, जिसे भू प्रबन्ध विभाग ने सिवायचक दर्ज कर दिया है। अतः ख0 नं0 711 रकवा 28 एयर सिवायचक को प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा प्रार्थीगण के खाते में दर्ज ख0

नं0 496/1, 498, 499, 500/1 को अप्रार्थी हजारी के खाते में दर्ज किया जावे। हजारी ने राजीनामा पेश किया तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से जबाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि ख0 नं0 711 रकवा 28 एयर पर प्रार्थीगण कब्जा काश्त है जिसे अपने नाम करवाना चाहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का नही मानते हुऐ प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा निर्देश दिये कि धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उद्घोषणा का दावा पेश करें। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित आराजी ख0 नं0 317/1 रकवा 1 बीघा 10 विस्वा दिनांक 10.01.2002 को एडवाईजरी कमेटी द्वारा आवंटन की गई थी तभी से प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है। भू प्रबन्ध विभाग ने अपीलान्ट के ख0नं0 711 रकवा 28 एयर का नया नम्बर बना कर सिवायचक दर्ज कर दिया। जबकि ख0नं0 711 भी साविक ख0 नं0 317/1 से ही बना है। अपीलान्ट ने कब्जे काश्त के ख0 नं0 711 में एक टयूब बेल एवं एक टंकी बना रखी है एवं एक खाम मकान बना रखा है। जिसमें अपीलान्ट निवास कर रहे है। बन्दोवस्त विभाग ने उक्त आराजी के नये ख0 नं0 496, 498, 499, 501, 711 बनाये है। भू प्रबन्ध के कर्मचारियों ने सहवन से ख0 नं0 496/1, 498, 499, 501/1 अपीलान्ट के खाते में दर्ज कर दिये है जबकि अपीलान्ट का इन नम्बरान पर कब्जा ही नही है। अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज भमि रैस्पो0 हजारी के कब्जे काश्त में है। अपीलान्ट का वर्तमान में कब्जा ख0 नं0 711 पर है। अधीनस्थ न्यायालय में दोनों पक्षों ने राजीनामा भी पेश कर दिया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा पर गौर नही किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा ख0नं0 711 रकवा 28 एयर वांके ग्राम जुवाड को सिवायचक हजफ कर अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज किया जावे एवं अपीलान्ट के खाते में दर्ज भूमि ख0 नं0 496/1, 498, 499, 501/1 को अपीललान्ट के खाते से हजफ किया जावे।

हमने विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी ख0 नं0 317/1 रकवा 1 बीघा 10 विस्वा अपीलान्ट को आवंटित हुई थी। बन्दोवस्त ने हाल ख0 नं0 496, 498, 499, 501, 711 बनाये है। भू प्रबन्ध विभाग ने सहवन से ख0 नं0 496/1, 498, 499, 500/1 अपीलान्ट की खातेदारी में अंकित कर दिये है। जबकि प्राथीगण का इन नम्बरान पर कब्जा नही है। इन नम्बरान पर रैस्पो0 हजारी का कब्जा है। अपीलान्ट का वर्तमान में ख0 नं0 711 पर कब्जा काश्त है। जिसे भू प्रबन्ध विभाग ने सिवायचक दर्ज कर दिया है। अतः ख0 नं0 711 रकवा 28 एयर सिवायचक को अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा अपीलान्ट के खाते में दर्ज ख0 नं0 496/1, 498, 499, 500/1 को रैस्पो0 हजारी के खाते में दर्ज किया जावे। हजारी ने अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा पेश किया। तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से जबाब पेश किया गया, जिसमें अंकित किया गया कि ख0 नं0 711 रकवा 28 एयर पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है जिसे अपने नाम करवाना चाहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि उक्त प्रकरण धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नही आता है। अपीलान्ट को धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उद्घोषणा का दावा पेश कर रिलीफ लेनी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चाहिये। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट ख0 न0ं 711 रकवा 028 एयर पर खातेदारी चाहता है जबकि उक्त ख0 नं0 सिवायचक दर्ज है। धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत केवल लिपिकीय त्रुटियों को ही दोनों पक्षकारों की सहमति से दुरूस्त किया जा सकता है। किसी की खातेदारी को समाप्त कर अन्य की खातेदारी में धारा 136 के तहत दुरूस्ती नही की जा सकती है। अपीलान्ट को धारा 88 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट सक्षम न्यायालय में पेश कर चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये। धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपीलान्ट को कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्देश के साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.11.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official